

भारतीय मानक ब्यूरो
(मुख्यालय, नई दिल्ली)

संदर्भ : वित्त/2:67/2026

31 अगस्त 2026

विषय : पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों पर आश्रित सदस्यों के संबंध में

कृपया वित्त विभाग के परिपत्र संख्या भामाब/प्रपत्र/मुख्यालय/वित्त/01/2026 दिनांक 05 फरवरी 2026 (प्रतिलिपि सलग्न) का संदर्भ लें जो कि सीजीएचएस कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार प्रेषित किया गया था ।

उक्त परिपत्र के माध्यम से उन सभी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जो चिकित्सा सुविधाओं हेतु सीजीएचएस का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, से उनके सीजीएचएस कार्ड पर दर्ज आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। तथापि, वित्त विभाग को अभी तक केवल लगभग 124 पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों से ही उक्त विवरण प्राप्त हुआ है।

अतः जिन पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों ने अभी तक अपने आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण वित्त विभाग को उपलब्ध नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रारूप में अपने आश्रितों का विवरण आवश्यक दस्तावेजों सहित यथाशीघ्र वित्त विभाग को **15 सितम्बर 2026 तक** medical@bis.gov.in पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, ताकि उक्त विवरण सीजीएचएस कार्यालय को प्रेषित किया जा सके तथा उनके सीजीएचएस कार्ड से संबंधित सुविधाएँ निर्बाध रूप से जारी रह सकें ।

हस्ता
(रितेश बरनवाल)
निदेशक (वित्त)

संदर्भ : वित्त/2:67

दिनांक: 31.08.2026

इंट्रानेट के माध्यम से सभी पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों को परिचालित

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग - भारतीय मानक ब्यूरो के पेंशनर्स पेज पर अपलोड करने के लिए

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(FINANCE DEPARTMENT)

Ref: FIN/2:37/2026

31 August 2026

Subject: Regarding dependents of pensioners/family pensioners

Please refer to Finance Department's circular number BIS/FIN/HQ/Circular(01)/2026 dated 05 February 2026 (copy enclosed), which was issued in accordance with the instructions received from the CGHS office.

Vide the aforementioned circular, all pensioners/family pensioners availing CGHS benefits for medical facilities were requested to provide details of the dependent family members listed on their CGHS cards. However, the Finance Department has so far received the said details from only about 124 pensioners/family pensioners.

Therefore, pensioners/family pensioners, who have not yet submitted details of their dependent family members, are once again requested to arrange to submit these details along with the necessary documents in the prescribed format to the Finance Department **at medical@bis.gov.in by 15 September 2026 positively**, so that the said details can be forwarded to the CGHS office and the facilities associated with their CGHS cards can continue without interruption.

Sd/-
(Ritesh Kumar Baranwal)
Director (Finance)

Ref: FIN/2:67/2026

Date: 31.08.2026

Circulated to all pensioners/family pensioners through the BIS intranet

ITSD – For uploading on the pensioners' page of Bureau of Indian Standards

भारतीय मानक ब्यूरो

(मुख्यालय, नई दिल्ली)

**विषय : पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों पर आश्रित सदस्यों के संबंध में
परिपत्र**

प्रायः यह देखा गया है कि दिल्ली/एनसीआर में निवास करने वाले पेंशनभोगी, जो सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे अपने आश्रित सदस्यों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन की सूचना समय पर भारतीय मानक ब्यूरो (वित्त विभाग) को नहीं देते हैं। इसके परिणामस्वरूप अभिलेखों (Record update) को अद्यतन करने में कठिनाई होती है और अनावश्यक देयता की संभावना भी बनी रहती है।

इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सीजीएचएस कार्ड के नवीनीकरण के दौरान सीजीएचएस कार्यालय द्वारा प्रमुख कार्ड धारक पर आश्रित सदस्यों का विस्तृत विवरण मांगा गया है। अतः सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाने वाले सभी पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि आश्रित सदस्यों के आत्मनिर्भर होने, विवाह होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति से संबंधित सूचना समय पर भारतीय मानक ब्यूरो (वित्त विभाग) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, ताकि अभिलेखों का समुचित एवं समयोचित अद्यतन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त सभी पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों से यह भी अनुरोध है कि वह BIS ID कार्ड (आगे एवं पीछे दोनों ओर) की प्रति, सीजीएचएस कार्ड की प्रति के साथ आश्रितों का विवरण संलग्न प्रपत्र में भरकर **20 फरवरी 2026 तक medical@bis.gov.in** पर भेजे, ताकि उक्त विवरण सीजीएचएस कार्यालय को समय पर उपलब्ध कराया जा सके।

हस्ता
(रितेश बरनवाल)
निदेशक (वित्त)

संदर्भ : वित्त/2:67

दिनांक: 05 फरवरी 2026

इंट्रानेट के माध्यम से सभी पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों को परिचालित

Sl.No.	Name	Main Beneficiary ID	Dependents Beneficiary ID with Name and Relation	Pay Level	Last Basic Pay	Date of Retirement	Address	City(from where pensioners was Retired)

SINGNATURE _____

NAME _____

PPO No _____